

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 46/2023

उनवान

1. श्रीमती कंकू पत्नि मामू सालवी नि० ओज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज)

—प्राथी

बनाम

1. श्री लादू पिता बरदा रेगर नि० ओज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्री देबीलाल पिता बरदा नि० ओज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. श्रीमती पार्वती देवी पत्नि अम्बालाल जाति मोची नि० हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जारिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्राथीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 12.05.2023

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 27.03.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ओज्याडा प.ह. ओज्याडा भू०अ०नि० हमीरगढ तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 46 की आ.न. 2348/1936 रकबा 0.0506है०, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं प्राथी एवं विपक्षीगण के मध्य परन्तगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आठे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्राथी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.04.2023 को पंजीबद्ध किया गया। प्राथी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 से 03 वाकजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अगल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्राथी/प्राथी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्राथी/प्राथी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मन्त किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्राथी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्राथी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:-

प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम ओज्याडा प.ह. ओज्याडा भू०अ०नि० हमीरगढ तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 46 की आ.न. 2348/1936 रकबा 0.0506है०, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लेण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/-पक्षकार प्राथी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदरायगी प्राथी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करे।

आदेश आज दिनांक 12.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फंसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ